न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
56 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	13.06.2025	25.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान निवासी मित्रपुरा रोड दतवास तह. निवाई जिला टोंक राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स कीर्ति किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दतवारा तह. निवाई जिला टोंक। मोबाईल नं0 8003815161

2–मैसर्स कीर्ति किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दतवास तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025

3–श्री राधा किशन गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल निवासी तम्बाकु पाडा, लालसोट, जिला दौसा राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स राधा किशन मुरारी लाल गोयल जवाहर गंज लालसोट जिला दौसा। पिनकोड–303503

4– मैसर्स राधा किशन मुरारी लाल गोयल जवाहर गंज लालसोट जिला दौसा।

5–श्री राहुल जामड पुत्र श्री धनराज निवासी जामडो का मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स ओसवाल मार्केटिंग, प्लॉट नं. 1/60ए, रोड नं0 6, विश्वकर्मा जयपुर राज0। पिनकोड–302013

6–मैसर्स ओसवाल मार्केटिंग, प्लॉट नं. 1/60ए, रोड नं0 6, विश्वकर्मा जयपुर राज0। पिनकोड–302013

7–श्री सोनाराम पुत्र धन्नाराम निवासी 64, राजपथ मार्ग, मुगल सिंह मोहल्ला, वार्ड नं0 11 सांभर लेक, राज0 मैसर्स प्रगति सॉल्ट (इण्डिया) प्रा. लिमि. 179, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर राज0। पिनकोड–302021

8–मैसर्स प्रगति सॉल्ट (इण्डिया) प्रा. लिमि. 179, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर राज0। पिनकोड–302021

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 25/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.02.2025 को समय 02.15 पी.एम. पर मैसर्स कीर्ति किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दतवास तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कीर्ति किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दतवारा तह. निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, नमकीन, मसाले के साथ–साथ दुकान में प्लस्टिक के 4 कट्टों में लगभग 100 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 किलोग्राम पैक **रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में प्लस्टिक के 4 कट्टों में लगभग 100 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 किलोग्राम पैक में से एक कट्टे को खोलकर जिसके बैच नम्बर 09 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2024 एवं उपयोग में लेने की दिनांक अगस्त 2026 थी, **रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को अलग–अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में रखकर, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4268 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर सिलप नं. आई–4268 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील वपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर सिलप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे रखकर सील मोहर कर सील बंदी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता इन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भगवान सिंह चौहान मैसर्स कीर्ति किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दतवास तह. निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स राधा किशन मुरारी लाल गोयल जवाहर गंज लालसोट जिला दौसा का खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स राधा किशन मुरारी लाल ने बतौर वारन्टी मैसर्स ओसवाल मार्केटिंग, प्लॉट नं. 1/60ए, रोड नं0 6, विश्वकर्मा जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मैसर्स ओसवाल मार्केटिंग से सम्पर्क किए जाने पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रगति सॉल्ट (इण्डिया) प्रा. लिमि. 179, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/309 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/271/एक्ट/2025/486 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाईण्ड छी फ्लो आयोडाईज्ड नमक (प्रगति बन्धन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट
टोंक–राज